



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
(परियोजना कार्यान्वयन इकाई, आगरा/Project Implementation Unit, (PIU) Agra)
ऑफिस : ए-208, कमला नगर, आगरा - 282 005
Office : A-208, Kamla Nagar, Agra - 282 005
फोन/Phone : 0562 - 2580274. फैक्स/Fax : 0562 - 2580275
ईमेल/Email : agra@nhai.org वेबसाइट/Website : http://www.nhai.gov.in



23032/02/21/आगरा बाईपास(उत्तरी)/966

दिनांक: 24/05/2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
मथुरा (उ०प्र०)

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-02 (किमी० 174.500) से आरम्भ होकर यमुना एक्सप्रेसवे (किमी० 141.000) को जोड़ने वाले आगरा बाईपास (उत्तरी) के छ:लेनीकरण कार्य हेतु – जनपद मथुरा में प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली रकवा 1.5853 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 23032/02/21/आगरा बाईपास (उत्तरी)/706 दि० 21.04.2022
2. इस कार्यालय का पत्रांक 23032/02/21/आगरा बाईपास (उत्तरी)/934 दि० 18.05.2022
3. आपके कार्यालय का पत्रांक 4994/14-1 मथुरा, दिनांक 12.05.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.04.2022 एवं 18.05.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण को विलोपित करने/वापस लेने का आग्रह किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 12.05.2022 द्वारा जो टिप्पणी की गयी है, के क्रम में लेख है कि, आपके द्वारा वॉछित समस्त प्रमाण पत्र/विवरण, पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये थे, जोकि नोडल अधिकारी, वन विभाग, लखनऊ के द्वारा दिनांक 14.02.2022 को अनुमोदित कर दिये गये थे। इस कार्यालय के पत्र संख्या 379 दिनांक 03.03.2022 के द्वारा प्रस्ताव सम्बन्धी सभी दस्तावेजों की Hard Copies भी जमा करा दी गई थी।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 01 एवं 02 के क्रम में, आपके कार्यालय से कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त न होने पर एवं प्रकरण में विलम्ब होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए, पूर्व में जमा की गई Hard copies में पुनः हस्ताक्षर कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

धन्यवाद,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Dev
24/05/2022
(संजय वर्मा)

परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी-पश्चिमी-उत्तर प्रदेश, भा०रा०रा०प्रा०, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (तक०)-पश्चिमी-उ०प्र०-भा०रा०रा०प्रा०, नई दिल्ली।